सफलता की कहानी...

# सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा दे रही है सियाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति

यह कहानी है पिछले 55 वर्षों से सहकारिता की पहचान बनी जालोर जिले की सियाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति की। समिति अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से न केवल अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही है वरन् सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देकर उनमें सक्रिय सहयोग भी कर रही है।

समिति का पंजीयन 29 सितम्बर, 1959 को हुआ था। समिति में निर्वाचित संचालक मण्डल है और यह **अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह चौहान, व्यवस्थापक श्री प्रागाराम मेघवाल** एवं संचालक मण्डल के सदस्यों के नेतृत्व व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से नवाचारों का प्रयोग करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। समिति में 2 हजार 29 कृषक सदस्य है, जिसमें से अनुसूचित जाति व जनजाति के 570, अन्य पिछड़ा वर्ग के 182 एवं 236 महिला सदस्य है।

कुशल वित्तीय प्रबंधन से समिति ने इफको में 1.05 लाख रु. व केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर में 13 लाख 86 हजार रु. हिस्सा राशि के रूप में विनियोजन कर रखा है, जिस पर प्रतिवर्ष 21 हजार रु. लाभांश के रूप में आय होती है। समिति के संतुलन चित्र में किसी भी संचालक मण्डल के सदस्य एवं कर्मचारी के नाम कोई लेनदारी नहीं है तथा संस्था में सहकारी अधिनियम की धारा 57 के तहत कोई भी प्रकरण पंजीकृत नहीं है। समिति द्वारा मिनी बैंक का कार्य भी संचालित किया जा रहा है जिसमें वर्तमान में सदस्यों के 8 हजार 719 खातों में 10 करोड़ 83 लाख रु. की अमानत जमा है और अमानते निरंतर बढ़ती जा रही है।

यह कुशल वित्तीय प्रबंधन ही हैं कि समिति ने ऋण वितरण के साथ-साथ ऋणी सदस्यों से समय पर ऋण वसूली का भी अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण प्रतिवर्ष कुल ऋण वितरण के 90 प्रतिशत से भी अधिक ऋण राशि की वसूली की गई है। इसका परिणाम यह रहा कि समिति को जालोर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 में जिला प्रशासन द्वारा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

समिति अपने कृषक सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार समय पर ऋण उपलब्ध कराने में अग्रणी रही है यही कारण है कि वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2013-14 में समिति ने 5.30 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण अधिक वितरण कर सराहनीय कार्य किया है।

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान के उद्देश्य से 3 हजार 663 खाते संचालित हैं। जिसमें 2 हजार 385 महिलाओं के खाते है, जो कुल खातों का 65 प्रतिशत है। समिति मनरेगा खाताधारकों से बचत के रूप में राशि जमा करती है तथा खाताधारकों की मांग के मद्देनजर उपभोक्ता सामग्री के साथ-साथ अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराती है।

समिति ने ग्रामीणों को खेती के लिए आवश्यकतानुसार खाद-बीज, कीटनाशक एवं खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध करवाते हुए वर्ष 2013-14 में 0.73 करोड रुपये का व्यापार किया है, जिसमें 0.35 करोड़ रुपये का कृषि उत्पाद भी शामिल है।

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को साकार करने के उद्देश्य से समिति कार्यक्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवा रही है। वर्ष 2013-14 में 0.17 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया, जो वर्ष 2009-10 की तुलना में 0.13 करोड़ रुपये अधिक था।

**सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार सिनीयर स्केल श्री रामचन्द्र सिंह जोधा** ने बताया कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए समिति ने सदस्यों के बीच में विश्वास अर्जित किया है जिसका यह नतीजा है कि सदस्य आगे बढ़कर समिति की गतिविधियों में हिस्सा लेते है। समिति द्वारा अपने सदस्यों के गरीब परिवार के बच्चों को नि:शुल्क गणवेश, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार, कार्यक्षेत्र की महिलाओं एवं पुरूषों द्वारा नसबंदी कराने पर समिति द्वारा नकद पुरस्कार, चिकित्सा शिविर लगाकर नि:शुल्क दवा वितरण तथा समिति द्वारा बागवानी एवं वृक्षारोपण जैसे कार्य भी किए जाते है।

समिति की सफलता कि कहानी यही पर समाप्त नहीं होती, समिति ने भविष्य में कृषक सदस्यों को ओर अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बेयर हाउस का निर्माण करवाने, मिनी बैंक की एक और शाखा खोलने तथा शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर मार्केट प्रारंभ करने की योजनाओं पर आगे बढ़ रही है।